ग्रा म नि र्मा ण – यो ज ना

अनुक्रमणिका

सर्व सेवा संघ रजिस्टर

(1) ग्रामदानी गावों में रोजगारी के प्रश्न पर अण्णासाहब मार्गदर्शन करें ।	सेवाग्राम	25-4-53	1
(2) बड़े ग्रामदानी क्षेत्रों में आदर्श ग्राम बसाने संबंधी समिति 6 को संयोजक अण्णा सहस्त्रबुद्धे ।	"	"	2
(3) भूमि वितरण और निर्माण कार्य	"	"	2-3
(4) निर्माण कार्य के लिये स्थानीय समिति हो	वर्धा	30-6-55	4
(5) निर्माण कार्य पर अण्णासाहब का नोट	बेझवाडा	16-12-55	4
(6) निर्माण कार्य में दृष्टि क्या हो ।	कोल्हापूर	28-3-58	5
(7) निर्माण कार्य का स्वरूप	सेवाग्राम	20-3-60	6-8
(8) निर्माण कार्य को दिशा	बंगलोर	29-10-60	8-10
(9) अक्राणी कार्य की रिपोर्ट और दामोदरदासजी का आवाहन बैठक में ही एक हजार का दान प्राप्त हुआ ।	पटना	9-4-62	10

= = = = = = =

www.vinoba.in

(सेवाग्राम – 25-4-53) पृष्ठ नं0 65

प्रस्ताव नं0 17 :- ग्रामदानी गांवोमें रोजगारी का कार्य अण्णासाहब के मार्गदर्शन में चलें।

भूदान यज्ञ आंदोलन में मंगरोट, सियाडीह, मानपुर जैसे पूरे के पूरे मिले हुए गावों के विकास संबंधी मार्गदर्शन चाहनेवाले प्रांतीय भूदान समिति संयोजकों के पत्र पेश किये गये।

तय हुआ कि गावों में ग्राम समितियां बनायी जायें और सारा काम उनके व्दारा ही ऐसी नीति रहे। ग्राम का काम गांधी घर की फूल एम्प्लायमेंट योजना पर विकसित करने का प्रयत्न किया जाय। श्री अण्णासाहब सहस्त्रबुध्दे आवश्यकतानुसार समय समय पर उनका मार्गदर्शन करें।

.....

प्रस्ताव नं0 18 :- बडे ग्रामदानी क्षेत्रों में आदर्श ग्राम बसाने संबंधी अण्णासाहेब के संयोजकत्व में समिति

..

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली आदि कई जिलों में हजारों एकड भूदान एक चक्र में प्राप्त हुआ है। उन पर आदर्श ग्राम की नयी बसाहटों की योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने और उस संबंधी समय समय पर उठने वाले सवालों का मार्गदर्शन करने के लिए निम्न लोगों की एक समिति बनाई गई।

(1) श्री अक्षयकुमार करण, सेवापुरी
(2) श्री आर्यनायकम् जी, सेवाग्राम.
(3) बाबू लक्ष्मी नारायण, बिहार.
(4) श्री पारनेकरजी - पीपरी.
(5) श्री मोहनभाई परीख

www.vinoba.in

(6) श्री अण्णा साहब सहस्त्रबुद्धे (संयोजक) सेवाग्राम।

(7)

समिति को और कुछ सदस्यों को कोआप्ट करने का अधिकार दिया गया।

बैठक करीब 4 बजे समाप्त हुई।

अगली बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में करने का तय हुआ।

...

(पुरी)

29-3-55

प्रस्ताव नं० ~~xxx~~ :- चर्चा पृ०नं० 115

"मुख्यशक्ति भूवितरण पर रखते हुए निर्माण कार्य से संपर्क रखें"

भूमि वितरण के बाद के निर्माण कार्य के बारे में चर्चा हुई। सिंचाई, साधन देना, सहकारी समितियाँ बनाना आदि बातों का समावेश निर्माण में होता है। आम राय रही कि यह काम इतना व्यापक है कि जहाँ-जहाँ भूमि वितरण हुआ है वहाँ-वहाँ हमें ही वह करना है अैसा मानेंगे तो बहुत संभव है हमारी बहुत सी शक्ति अुसी में लग जायेगी। हमारी मुख्य शक्ति भूदान-यज्ञ के प्रत्यक्ष काम में ही लगनी चाहिये और नमूने के तौर पर कुछ क्षेत्रों में निर्माण का काम करके हम दिखावें। लेकिन इसका मानी यह नहीं है कि नमूने के क्षेत्रों के अलावा दूसरे गाँवों से हमारा संपर्क भी न रहे। जहाँ जहाँ वितरण हुआ है अुन गाँवों से हमारा संपर्क बना रहना चाहिये।

पृ० 115

अंकित जमीन का दान :-

वितरण के समय यह भी चर्चा चली कि क्या जमीन का अंकित दान स्वीकार किया जाय?

अेक विचार यह रहा कि इस प्रकार अंकित जमीन लेने में दोष है। भूदान के पीछे स्वामित्व विसर्जन की कल्पना है। वह अैसे दान में प्रगट

www.vinoba.in

नहीं होती है ।

दूसरी राय यह रही कि सिध्दान्त की दृष्टि से शायद अंकितदान लेने में गौणता हो तो भी, भूमिहीन को जमीन मिलती है तो उसमें हर्ज क्या है । उतनी जमीन की मालिकी तो दाता छोडता ही है ना ?

विनोबाजी की राय रही कि दान की प्रक्रिया में दाता अपना कुछ रखता है तो वह दान ''कृष्णार्पण'' नहीं होता है बल्कि— ''विशिष्टार्पण'' होता है । यह न्यूनता इसमें होने पर भी उसे दान हमारे आंदोलन को आघात पहुंचाते हैं ऐसा हम नहीं मानते हैं ।

नीचे लिखी बातें पूर्ण हों तो अंकित दान लेने में हर्ज नहीं है :—

1) जिसको जमीन दी जाती है वह वहां का रहनेवाला हो ।

2) भूमिहीन हो ।

3) उसके परिवार के लिये पर्याप्त जमीन दी जाती हो ।

अंकित दान के बारे में यह भी प्रयत्न रहे कि दाता की ओर से जरूरी साधन भी उसे दिये जाय ।

......

(वर्धा - 30-6-55) पृ०नं० 124

प्रस्ताव नं० 7 :- निर्माण कार्य सिधे संघ द्वारा न हो। स्थानीय समितियाँ करें।

••

श्री दामोदरदासजी मूंदडा ने अुडीसा में मिल रहे गांवों की पुनर्रचना काम के लिये संघ द्वारा बाहरी मदद जुटाने का प्रयत्न किये जाने का सुझाव दिया। श्री अध्यक्षजी ने बतलाया कि अिस प्रश्न की चर्चा पिछले साल संघ की मुजफ्फरपुर बैठक में हुअी थी और यह राय रही कि अिस प्रकार की मदद जुटाने का काम करने के लिये प्रान्तीय या क्षेत्रीय संस्थाओं को बनाना चाहिये, जो सरकारी आदि का सहयोग लेकर अिस प्रकार का निर्माण कार्य हाथ में लें। संघ अिस काम में फिलहाल न पडे। श्री सिध्दराजजी ढढ्ढा ने बतलाया कि अुडीसा में अिस प्रकार के निर्माण काम की जिम्मेवारी अुस प्रान्त में आदिवासियों की सेवा के लिये बना हुआ नवजीवन मंडल ले रहा है। संघ की ओर से अिस मंडल से संपर्क रखकर आवश्यक सलाह व मदद दी जायगी।

••••

पृ०नं० 143

(बेझवाडा-- 16-12-55)

प्रस्ताव नं० 6 :- ग्रामदानोत्तर निर्माणकार्य संबंधी अण्णा का नोट

•••••

जिन गांवों में ग्रामदान हुआ है यानि जहां जमीन का ग्रामीकरण हो चुका है, वहां आगे ग्रामनिर्माण की दृष्टि से किस प्रकार काम किया जाय, अिस बारे में श्री अण्णा साहब ने अेक नोट तैयार किया था वह परिपत्रित किया गया। अण्णासाहबने अुस पर प्रकाश डाला।

•••••••••

www.vinoba.in

(सेवा संघ रजि० नं० 3)

पृ० नं० 25-27
(कोट हापुर-28-3-58)

प्रस्ताव नं० 6 :- निर्माण कार्य के संबंधी दृष्टि

प्रबंध समिति में निर्माण कार्य के सिलसिले में जो चर्चा हुई थी उसका सार श्री नारायणभाई ने लिखा था वह उन्होंने पढकर सुनाया तथा जहाँ कहीं स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी वहाँ विशेष विवेचना व व्याख्या की। ग्रामदानी गाँवों के निर्माण काम में ग्रामदान दृष्टि क्या रहे। कार्यकर्ताओं का विकास व निर्माण किस प्रकार हो तथा शहरों में क्या कार्यक्रम चलें। इस संबंध में चर्चा हुई।

——चर्चा का सार नीचे लिखे अनुसार रहा ——

...

''भूदान आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य पुराने मूल्यों और संदर्भों को बदलकर समाज में बुनियादी परिवर्तन करने का है। नये समाज के निर्माण का काम पुराने संदर्भों और पुराने मूल्यों के कायम रहते संभव नहीं है। परअहिंसक क्रांति में समजा को बदलने और उसे बनाने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर या विरोध नहीं है। उसमें समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में मूलभूत ऐसी होनी चाहिये कि जिससे समाज का निर्माण होता चले और निर्माण का काम इस प्रकार चलें कि उसके फलस्वरूप पुराने मूल्य और संदर्भ बदलते जायें। ग्रामदान में जमीन की मालकियत के संबंध में पुरानें संदर्भ बदलकर नये क्रांतिकारी मूल्य की स्थापना हो सकती है, इसलिए ग्रामदान क्रांतिकारी निर्माण कार्य का आधार है, और उसका लक्ष्य ग्राम स्वराज्य तक पहुंचने का है। इस प्रकार के निर्माण के कार्य को क्रांति का ही अंग मानना चाहिये।

''निर्माण काम क्रांति का पोषक बने इसके लिए यह देखते रहना जरूरी है कि निर्माण काम में अंत्योदय की दृष्टि रहे अर्थात निर्माण काम का लाभ अंतवालों को सबसे पहले मिलें, निर्माण काम से सामूहिक (को-आपरेट) जीवन की ओर प्रगति हो- निर्माण के फलस्वरूप जो भौतिक विकास और उत्पादन हो वह सबका है इस प्रकार के समर्पण और बांटकर उपयोग करने की भावना लोगों में निरन्तर बढती जाय और निर्माण के काम में लगे हुए कार्यकर्ता अपने काम में उत्तरोत्तर सजग और कुशल बनें। इस प्रकार सारा निर्माण कार्य एक प्रकार से समाज-शिक्षण का ही काम होगा।

www.vinoba.in

उपरोक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही सके तो हर प्रांत में एक, या देश भर में कुछ जगह, प्रायोगिक निर्माण के कार्य क्रांति का हिस्सा समझकर ही साथ में लिए जाने चाहिये । देश के विभिन्न लोगों में खादी, नईतालीम आदि रचनात्मक कार्यों में लगी संस्थायें और कार्यकर्ता भी इस दृष्टि से निर्माण काम को हाथ में लें । सामुहिक विकास योजना के सहयोग का जो कदम बढाया गया है उस दृष्टि से उक्त योजना की ओर से ग्रामदानी गावों और क्षेत्रों में जो काम हो उसमें भी यथा शक्ति सहयोग और सलाह देना है । और यह सारा निर्माण कार्य उचित दिशा में चले इसके लिए यह परम-आवश्यक है कि ~~कार्यकर्ताओं~~ कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षण की व्यवस्थित योजना बनाई जाय ।

इन सारी कार्य क्रमों की सकल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय स्तर पर प्रदेशों में प्रत्यक्ष काम में लगे हुए अनुभवी कार्यकर्ताओं की एक निर्माण समिति बनें जो निर्माण काम के सिलसिले में उठनेवाले व्यावहारिक प्रश्नों और योजनाओं पर विचार करें । साथ ही प्रदेशीय स्तर पर भी निर्माण समितियां हों । जिन जिन प्रदेशों में सर्वोदय मंडलों या तत्संबंधी संस्थाओं की स्थापना हुई है वहां ये संगठन निर्माण कार्य के बारे में मार्गदर्शन और समन्वय कर सकते है ।

इस संबंध में उपर्युक्त कार्यवाई प्रबंध समिति करें ।

.....

(सेवाग्राम — 20-3-60)

पृ०नं० 96

प्रस्ताव नं० 7 :- निर्माण कार्य का स्वरूप

1) हमारे काम में और सरकारी विकास के काम में फरक यह है कि हमारे काम में खर्च कम, काम ज्यादा, गांव का अभिक्रम और एक कुटुंब की भावना, ये चार बातें होंगी ।

2) हमारी क्रांति की भावना कायम रहेगी यदि उनमें आंदोलन की भावना कायम रहे और इसलिये वे खुद पदयात्रायें निकालें, गांव गांव जमीन मांगे आदि । हमारा काम गांव के नेतृत्व के मार्फत हो । कार्यकर्ताओं के मार्फत न हो ।

www.vinoba.in

3) गांव के बाहर से कर्ज और मदद दोनों अन्य तत्सम देश के गांवों को जितना मिलता है उतना दिया जाय। हमें बिलकुल मदद नहीं देनी है और संपूर्ण मदद मिले असके बीच का रास्ता हमें निकालना होगा। मदद अुत्पादन के साधनों के रूप में हो। मदद का स्वरूप अैसा रहे कि गांव के लोगों का अपिक्रम अुससे जागृत हो सकें। जो काम श्रम शक्ति के बल पर हो सकते हैं वे मदद मिलने में देरी लगने के कारण रुके न रहें।

(4) पैसों के बिना हो सकनेवाले काम —श्रम के और नैतिक ~~अवलंब~~ अवश्य हाथ में लिये जायें। अैसे कामों में से मद्य निषेध का काम अेक है।

(5) ग्रामदानी गांवों में अन्नोत्पादन में अेवं वस्त्रोत्पादन में वृद्धि हो। अगले पांच वर्ष में ग्रामदानी गांवों में अन्नोत्पादन दुगुना हो। अन्त्योदय की दृष्टि से नया ग्राम अेक कुटुंब है यह दानों दृष्टियों से कार्य हो।

(6) ~~सब×ग्रामों~~ अत्यादय की दृष्टि से जिन कुटुंबों की आमदनी प्रति-वर्ष 200 रुपये से कम हो अुनकी आमदनी 600 रुपये की जाय। अन्य लोगों की आमदनी की भी वृद्धि हो और आर्थिक विषमता कम हो।

(7) सब गांवों में नैतिक वातावरण कायम रहे और बांट-बांट कर खाने की शिक्षा कायम रहे। जमीन की तरक्की होने के कारण व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना न बढे, बल्कि सामुदायिकता बढे।

(8) समाज विकास मंत्रालय और सर्व सेवा संघ में जो सत्काल का निर्णय हुआ तदनुसार ग्रामदानी गांवों में योग्य अनुकूल अधिकारी भेजे जायें।

(9) ग्रामदानी गांवों को राजनैतिक पक्षबाजी से बचाया जाय।

(10) ग्रामदान कानून छोटा और सरल हो और वह जल्द पास करवाया जाय।

(11) ग्रामदानी गांवों को अेक विशेष निधि में कर्ज दिया जाय। वैसे ही पुराने कर्ज को 3 साल तक मोराटोरियम किया जाय।

(12) संपूर्ण रोजगार का काम ग्रामदानी गांवों में किया जाय।

www.vinoba.in

13) निर्माण समिति को अनुसंधान का काम करना चाहिये ।

14) जहाँ बडे बडे सघन क्षेत्र मिले है वहाँ अच्छा काम कर सारे सामुदायिक योजनाओं का रास्ता खुल सकता है । और देश का सब पैसा योग्य काम में लगाया जा सकता है ।

15) ग्रामदान समिति अपने कार्य क्षेत्र में ग्राम परिवार और भूदान भूमिधारियों के प्रश्नों को अन्तर्भावित करें ।

....

(बंगलोर— 29-10-60) (पृ०नं० 128-129)

प्रस्ताव नं० 8 :- निर्माण कार्य की दिशा

...

सर्व प्रथम इस बात पर चर्चा हुई कि निर्माण समिति कस प्रकार के गावों में निर्माण कार्य करें । यह राय रही कि ग्रामदानी और संकल्पी गावों के अलावा जहाँ- जहाँ बडे सामान्य ~~मिल~~ परिमाणों में जमीन बांटी गयी है, ऐसे सभी गावों को निर्माण समिति अपना कार्य क्षेत्र मानें । किन्तु साधन और कार्यकर्ता की मर्यादा की दृष्टि में रखकर ग्रामदानी, ग्राम संकल्पी और जहाँ बडे परिमाण में जमीन बांटी गयी है, ऐसे गावों को अनुक्रम से प्राथमिकता दें । जिला सर्वोदय-मंडल और भूदान कमेटी उन गावों के निर्माण- कार्य का प्रबंध करें: जहाँ भूदान की जमीन बंटी है । इसके लिए सरकार और विभिन्न संस्थाओं से जो सहयाता प्राप्त हो सकती है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

इसके बाद विचार के लिए उठायें गये प्रश्नों पर चर्चाएँ हुई और उन पर चर्चा मंडल की जो राय रही, वह आगे बतायी गयी है ।

(1) निर्माण समिति जिन गावों में काम करें, वहाँ के लिए काम की जो योजना बनायें, वह गावों के निवासियों की सहायता और सलाह से बनाये ।

www.vinoba.in

योजना को कार्यान्वित करने में भी ग्रामवासियों के अभिक्रम और शक्ति का सहारा ले । ऐसा होने से योजना में वास्तविकता और व्यावहारिकता आयेगी और कार्यकर्ता के अभाव की पूर्ति होगी । इससे समिति की कार्यक्षमता बढ़ेगी ।

(2) निर्माण - कार्य के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है । इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए । प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए । जहाँ तक संभव हो, संबद्ध क्षेत्र के व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित करके काम में लगाना चाहिए । मार्गदर्शन के लिए बाहर के लोग ही हो सकते हैं । जबतक स्थानीय व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं हो जाते, तब तक बाहर के प्रशिक्षित व्यक्तियों से काम लिया जा सकता है, किन्तु प्रशिक्षण की कोई ऐसी नयी योजना चलानी चाहिए, जिसके आधार पर प्रचलित प्रशिक्षण के लिए निर्धारित योग्यता से कम योग्यतावाले स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके काम में लगाया जा सके । महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको निर्माण - कार्य में लगाने का प्रयत्न कम हुआ । इधर समुचित रूप से ध्यान जाना चाहिए ।

(3) निर्माण - कार्य करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के कामों में को-आर्डिनेशन होना चाहिए । को आर्डिनेशन लाने को निर्माण - समिति के सदस्य बनाना संभव हो, उतने लोगों को सदस्य बनाया जाय और आवश्यकतानुसार कुछ अन्य व्यक्तियों को समिति की बैठकों में विशेषरूप से आमंत्रित किया जाय । इसी तरह उन संस्थाओं में भी सर्वे सर्वोदय विचार के लोग रहें या उनकी बैठकों में आया करें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

(4) आदाताओं के विकास का काम सरकारी सहायता और सरकारी कर्मचारियों द्वारा करवाने का प्रबंध होगा तो ठीक है, किन्तु यह काम ठीक से हो, इसके लिए सर्वोदय मंडल के लोगों को निगरानी रखनी होगी ।

इस विषय में एक सुझाव है कि सहकारिता विभाग के द्वारा सरकारी सहायता आदाताओं को प्राप्त हो सके, इसके लिए सहकारिता कानून में आवश्यक संशोधन करवाने चाहिए ।

(5) किसी खास क्षेत्र में जो निर्माण-कार्य हो रहा हो, उसका असर इर्द-गिर्द के क्षेत्रों पर हो । इसके लिए आवश्यक है कि निर्माण कार्य सर्वांगीण हो तथा कुशलतापूर्वक हो । इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में और उनके नैतिक स्तर में काफी सुधार होना चाहिए । इन सबकी जानकारी,

www.vinoba.in

विशेषकर यदि वहां का उत्पादन बढा है, तो उसकी और वहां का कर्ज कम हुआ हो तो उसकी, गिर्द-गिर्द की जनता को मिलनी चाहिए । यह जानकारी देने का काम उस क्षेत्र के लोग ही करें, तो वह अधिक असर डालनेवाला होगा ।

(6) गांव की पूरी श्रमशक्ति जागृत करने में कई रुकावटें हैं :— रोजगार का अभाव, काम मजदूरी, समाज में श्रमिक की प्रतिष्ठा न होना, अलग-अलग उत्पादन करने का सिलसिला । गांव के लोग अपनी यह जिम्मेदारी मानें कि हर व्यक्ति को काम और उचित मजदूरी दिलानी है । ऐसा होने से बहुत से लोग गांव से बाहर बीच-बीच में काम के लिए चले जाते हैं, वैसा नहीं होगा। श्रमिक की प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए । गांव की संस्थाओं में उसको स्थान मिलें । सहकारी वृत्ति का विकास किया जाय ।

....

रजि० नं0 3
सर्व सेवा संघ •
(पटना — 9-4-62)

पृ०नं0 194

प्रस्ताव :- चर्चा :— दामोदरदास द्वारा अक्राणी रिपोर्ट •

अक्राणी के निर्माण-कार्य की विकट स्थिति का वर्णन करते हुये श्री दामोदर दास मूंदडा ने प्रतिनिधि-सदस्यों से प्रार्थना की कि ''वे वहां के पिछडे हुए आदिवासी क्षेत्र की सेवा के लिये जो भाई बैठे हैं, उनको हर तरह से सहायता करें । नयी तालीम, गोसेवा, कृषि, ग्राम इकाई, खादी और ग्रामोद्योग नीरा, ताडगुड इत्यादि हर तरह के काम वहां करने के लिये कार्यकर्ता और धन की तुरन्त आवश्यकता है । काम गहरा है और सदियों की गरीबी, अज्ञानता, असंस्कारिता और व्यसनाधीनता को दूर करने का काम है । काम इतना कठिन है कि शायद कई कार्यकर्ताओं की पूरे जीवन भर की सेवा भी अधूरी ही पडेगी ।''

श्री दामोदरदास मूंदडा के आवाहन पर वर्धा जिला सर्वोदय - मंडल ने एक सौ रुपये का दान जाहिर किया । श्री दादा धर्माधिकारी ने भी एक सौ रुपये का दान दिया । बैठक में ही पांच- सात जिलों ने अपने- अपने एक सौ रुपयों के दान की घोषणा की ।

www.vinoba.in